



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

फाल्गुन 15, बुधवार, शाके 1929-मार्च 5, 2008

Phalgun 15, Wednesday, Saka 1929-March 5, 2008

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 5, 2008

संख्या प.2(5)विधि/2/2008.-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2008 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006

(2008 का अधिनियम संख्यांक 1)

[राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 फरवरी, 2008 को प्राप्त हुई]

शराब के चोरबाजारियों, खतरनाक व्यक्तियों, मादकद्रव्य अपराधियों, अनैतिक-व्यापार अपराधियों और सम्पत्ति हथियाने वालों का उनके लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले सामाज-विरोधी और खतरनाक क्रियाकलापों का निवारण करने के लिए निवारक निरोध किये जाने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राधिकृत अधिकारी" से धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उस धारा की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकृत कोई जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ख) "शराब का चोरबाजारिया" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आभ्यासिक रूप से राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2) और तदधीन बनाये गये नियमों और किये

गये आदेशों के या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में किसी भी शराब, मादक औषधि या अन्य मादक पदार्थ का आसवन, विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन, आयात, निर्यात, विक्रय या वितरण करता है या जानते हुए किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा या जरिये ऊपर वर्णित किसी भी बात के किये जाने को अग्रसर करने या समर्थन देने के लिए कोई भी धन खर्च या उपयोजित करता है या किसी भी पशु, यान, जल-यान या अन्य प्रवहन का या किसी भी आधान या किसी भी प्रकार की अन्य सामग्री का प्रदाय करता है, या किसी भी ऐसी बात के किये जाने का किसी भी अन्य रीति से दुष्प्रेरण करता है;

- (ग) "खतरनाक व्यक्ति" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या मुखिया के रूप में, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) के अध्याय 16 या अध्याय 17 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध या आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 54) के अध्याय 5 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध या वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 51 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक और उप-धारा (1क) के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 67 के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध आभ्यासिक रूप से करता है या करने का प्रयत्न करता है या किये जाने का दुष्प्रेरण करता है;
- (घ) "निरोध आदेश" से धारा 3 अधीन किया गया कोई आदेश अभिप्रेत है;
- (ङ) "निरुद्ध व्यक्ति" से किसी निरोध आदेश के अधीन निरुद्ध कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) "औषधि अपराधी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आभ्यासिक रूप से—
- (i) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) (जिसे आगे इस परिभाषा में "औषधि अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 के उल्लंघन में कोई भी औषधि आयात करता है;
  - (ii) औषधि अधिनियम की धारा 18 के उल्लंघन में किसी भी औषधि का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है, या विक्रय करता है या विक्रय के लिए स्टॉक करता है या प्रदर्शन करता है या वितरण करता है;
  - (iii) औषधि अधिनियम की धारा 33-ड ड के उल्लंघन में किसी भी आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी औषधि का विक्रय या वितरण के



लिए विनिर्माण करता है, या विक्रय करता है, या विक्रय के लिए स्टॉक करता है या प्रदर्शन करता है या प्रस्ताव करता है, या वितरण करता है;

- (iv) स्थापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61) की धारा 8 के उल्लंघन में, किसी भी कोका पौधे, अफीम पोस्त, या केनेबिस पौधे की खेती करता है या कोई भी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ उत्पन्न, विनिर्मित करता है, रखता है, विक्रीत, क्रीत, परिवहित करता है, भाण्डागार में रखता है, अन्तरराज्यिक तौर पर आयात, अन्तरराज्यिक तौर पर निर्यात करता है, भारत में आयात, भारत से निर्यात करता है या यानांतरण करता है;
- (v) जानते हुए किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा या जरिये उप-खण्ड (i) से (iv) तक में से किसी में भी उल्लिखित किसी भी बात के किये जाने को अग्रसर करने या समर्थन देने के लिए कोई भी धन खर्च या उपयोजित करता है; या
- (vi) उप-खण्ड (i) से (v) तक में से किसी में भी उल्लिखित किसी भी बात के किये जाने का किसी भी रीति से दुष्प्रेरण करता है;

(छ) "आभ्यासिक" में, उसके समस्त व्याकरणिक रूपभेदों सहित, ऐसे कार्य और लोप सम्मिलित हैं जो बार-बार निरन्तर और प्रायः किये जाते हैं और जिनमें एक समान पुनरावृत्तिपूर्ण कार्यों या लोपों की सूत्रबद्धता है, किन्तु इसमें एकाकी, अकेले और असमान कार्य या लोप सम्मिलित नहीं हैं;

(ज) "अनैतिक व्यापार अपराधी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 104) के अधीन कोई भी अपराध आभ्यासिक रूप से करता है या उसका दुष्प्रेरण करता है;

(झ) "सम्पत्ति हथियानेवाला" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी भी जिला मुख्यालय की नगरीय सीमाओं के भीतर स्थित ऐसी किसी भी भूमि का कब्जा अवैध रूप से लेता है जो उसकी नहीं है किन्तु जो सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी अन्य व्यक्ति की है, या जो ऐसी भूमि के संबंध में अवैध अभिधृतियां या इजाजत और अनुज्ञप्ति करार या कोई भी अन्य करार करता है या सृजित करता है, या जो विक्रय या भाड़े के लिए उस पर कोई भी संरचना संनिर्मित करता है या ऐसी भूमि किसी भी व्यक्ति को उस पर किसी संरचना के संनिर्माण या उपयोग और अधिभोग के लिए किराये पर या इजाजत और अनुज्ञप्ति आधार पर देता है, या जो ऐसी भूमि का अवैध कब्जा लेने के लिए या उस पर किसी संरचना के संनिर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति को जानते हुए

वित्तीय सहायता देता है, या जो ऐसी भूमि के किन्हीं भी अधिभोगियों से किराया, प्रतिकर या अन्य प्रभार आपराधिक अभित्रास द्वारा संगृहीत करता है या संगृहीत करने का प्रयत्न करता है, या जो किन्हीं भी ऐसे अधिभोगियों को विधिपूर्ण प्रक्रिया का सहारा लिये बिना बलपूर्वक बेदखल करता है या बेदखल करने का प्रयत्न करता है, या जो ऊपर उल्लिखित बातों में से किसी के भी किये जाने का किसी भी रीति से दुष्प्रेरण करता है;

(ज) "लोक व्यवस्था" का वही अर्थ होगा जो उसे धारा 3 की उप-धारा (4) के अधीन समनुदिष्ट किया गया है।

3. कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने के आदेश करने की शक्ति.—(1) राज्य सरकार, यदि उसका किसी भी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाये कि लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी रीति से कार्य करने से उसे निवारित करने की दृष्टि से ऐसा किया जाना आवश्यक है तो, यह निदेश देते हुए कोई आदेश कर सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाये।

(2) यदि, किसी जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में विद्यमान या संभाव्यतः विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि ऐसा किया जाना आवश्यक है जो वह लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि जिला मजिस्ट्रेट भी, यदि उसका उप-धारा (1) के अधीन उपबंधितानुसार समाधान हो जाये तो, उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

(3) जब इस धारा के अधीन कोई भी आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाये तो वह तथ्य की रिपोर्ट उन आधारों के साथ, जिन पर आदेश किया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ, जो उसकी राय में विषय से संबंध रखती हों, तुरन्त राज्य सरकार को करेगा, और ऐसा कोई भी आदेश उसके किये जाने के पश्चात् बारह दिन से अधिक तक तब तक प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक उसे इस बीच में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(4) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को "लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी भी रीति से कार्य करना" तब समझा जायेगा जब ऐसा व्यक्ति चाहे किसी शराब के चोरबाजारिये के रूप में या खतरनाक व्यक्ति या औषधि अपराधी या अनैतिक-व्यापार अपराधी या सम्पत्ति हथियाने वाले के रूप में किन्हीं भी ऐसे क्रियाकलापों में लगा हो या लगने की तैयारी कर रहा हो जिनसे लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।



**स्पष्टीकरण.**—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, लोक व्यवस्था का प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ होना या प्रतिकूल रूप से संभाव्यतः प्रभावित होना समझा जायेगा यदि, अन्य बातों के साथ-साथ, इस उप-धारा में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के किसी भी क्रियाकलाप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, बड़ी संख्या में जनता या उसके किसी भी भाग को कोई भी नुकसान, खतरा या संत्रास अथवा असुरक्षा की भावना या जीवन, संपत्ति या लोक स्वास्थ्य को कोई गंभीर या व्यापक खतरा हो रहा हो या होने की संभावना हो।

4. निरोध आदेशों का निष्पादन.—किसी निरोध आदेश को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अधीन गिरफ्तारी वारंट के निष्पादन के लिए उपबंधित रीति से राज्य में किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकेगा।

5. निरोध का स्थान और शर्तें विनियमित करने की शक्ति.—प्रत्येक व्यक्ति, जिसके बारे में निरोध आदेश किया गया है—

(क) ऐसे स्थान में और ऐसी शर्तों के अधीन, जिनके अन्तर्गत अनुशासन बनाये रखने और अनुशासन के भंग के लिए दण्ड के बारे में शर्तें भी हैं, निरोधनीय होगा जो सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे; और

(ख) राज्य सरकार के आदेश से राज्य के भीतर, निरोध के एक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान को हटाये जाने का भागी होगा।

6. निरोध के आधारों का पृथक्करणीय होना.—जहां किसी व्यक्ति को धारा 3 के अधीन निरोध के आदेश के, जो दो या अधिक आधारों पर किया गया हो, अनुसरण में निरुद्ध किया गया हो, वहां निरोध का ऐसा आदेश प्रत्येक ऐसे आधार पर पृथक् रूप से किया हुआ समझा जायेगा और तदनुसार—

(क) ऐसा आदेश मात्र इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं समझा जायेगा कि एक आधार या कुछ आधार—

(i) अस्पष्ट,

(ii) अविद्यमान,

(iii) असंगत,

(iv) ऐसे व्यक्ति के असम्बद्ध या आसन्न रूप से असम्बद्ध, या

(v) किसी प्रकार के किसी अन्य कारण से अविधिमान्य,

है या हैं और इसलिए इससे यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि सरकार या, ऐसा आदेश करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का समाधान धारा 3 में उपबंधितानुसार शेष आधार पर आधारों के प्रति निर्देश

से हुआ होगा और उसने निरोध का आदेश कर दिया होगा;

- (ख) सरकार या निरोध का आदेश करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह समझा जायेगा कि उसने उक्त धारा के अधीन निरोध का आदेश, उस धारा में उपबंधितानुसार शेष आधार या आधारों के प्रति निर्देश से समाधान कर लेने के पश्चात् किया है।

7. निरोध आदेशों का कतिपय आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय न होना.—कोई भी निरोध आदेश मात्र इस कारण से अविधिमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं होगा—

- (क) कि तदधीन निरोधनीय व्यक्ति यद्यपि राज्य के भीतर है तथापि आदेश करने वाले प्राधिकृत अधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर है, या

- (ख) कि ऐसे व्यक्ति के निरोध का स्थान, यद्यपि राज्य के भीतर है तथापि उक्त सीमाओं के बाहर है।

8. फरार व्यक्तियों के बारे में शक्तियाँ.—(1) यदि राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में निरोध आदेश किया गया है, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे आदेश का निष्पादन नहीं किया जा सकता उस दशा में राज्य सरकार या, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी को, उसकी मामूली अधिकारिता को विचार में लाये बिना, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई उद्घोषणा जारी करने के लिए और राज्य के किसी भी भाग में स्थित उसकी सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए तथा कोई भी अन्य कार्यवाई करने लिए सक्षम न्यायालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया हुआ समझा जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 82, 83, 84 और 85 में अंतर्विष्ट उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो उपर्युक्त निरोध आदेश किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी का कोई वारण्ट हो।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा का पालन करने में असफल रहता है तो, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर दे कि उसके लिए उसका पालन करना संभव नहीं था और कि उसने आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, आदेश में उल्लिखित अधिकारी को उन कारणों की, जिनसे उसका पालन असंभव हो गया था, और अपने ठिकाने की, सूचना दे दी थी या यह साबित नहीं कर दे कि आदेश में उल्लिखित अधिकारी को इस प्रकार सूचित करना उसके लिए संभव नहीं था, वह दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।



(3) कुर्क सम्पत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करते हुए राज्य सरकार या, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये आदेश से कोई अपील उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले सेशन न्यायालय को होगी जहां प्रश्नगत सम्पत्ति स्थित है।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, उप-धारा (2) के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

9. निरोध आदेश के आधारों का निरुद्ध व्यक्ति को प्रकट किया जाना.—(1) जब किसी व्यक्ति को किसी निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशक्य शीघ्र किन्तु निरोध की तारीख से तीन दिन तक, न कि उसके पश्चात् उसे उन आधारों की संसूचना देगा जिन पर आदेश किया गया है और उसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन करने का शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा।

(2) उप-धारा (1) की कोई बात प्राधिकारी से ऐसे तथ्य प्रकट करने की अपेक्षा नहीं करेगी जिन्हें प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझे।

10. सलाहकार बोर्डों का गठन.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्ड गठित करेगी।

(2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड में एक अध्यक्ष और ऐसे दो अन्य सदस्य होंगे जो किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों या रहे हों।

11. सलाहकार बोर्ड को निर्देश.—ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कोई निरोध आदेश इस अधिनियम के अधीन किया गया है, राज्य सरकार आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर-भीतर, वे आधार, जिन पर आदेश किया गया है और निरुद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन यदि कोई हो, तथा जहां आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया हो वहां ऐसे अधिकारी द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन की गयी रिपोर्ट भी धारा 10 के अधीन उसके द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखेगी।

12. सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया.—(1) सलाहकार बोर्ड, उसके समक्ष रखी गयी सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से या राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए बुलाये गये किसी व्यक्ति से या निरुद्ध व्यक्ति से ऐसी और जानकारी की, जिसे वह आवश्यक समझे, अपेक्षा करने के पश्चात् और यदि, किसी मामले विशेष में सलाहकार बोर्ड ऐसा करना अत्यावश्यक समझे या यदि निरुद्ध व्यक्ति सुने जाने की वांछा करे तो निरुद्ध व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई के पश्चात् अपनी रिपोर्ट निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से पचास दिन के भीतर-भीतर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट में उसके एक पृथक् भाग में सलाहकार बोर्ड की इस बारे में राय विनिर्दिष्ट होगी कि आया निरुद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त हेतुक है या नहीं।

(3) जब सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो तो ऐसे व्यक्तियों की बहुमत की राय बोर्ड की राय समझी जायेगी।

(4) सलाहकार बोर्ड की कार्यवाहियां और उसकी रिपोर्ट, रिपोर्ट के उस भाग को छोड़कर जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट की गयी है, गोपनीय होगी।

(5) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है, सलाहकार बोर्ड को निर्देश से संसक्त किसी भी विषय में किसी विधि व्यवसायी के द्वारा उपस्थित होने का हकदार नहीं बनायेगी।

13. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाई.—(1) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट की है कि उसकी राय में निरुद्ध व्यक्ति के निरोध का पर्याप्त हेतुक है, राज्य सरकार निरोध आदेश को पुष्ट कर सकेगी और निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की धारा 14 द्वारा विहित की गयी अधिकतम कालावधि से अनधिक इतनी कालावधि तक जारी रख सकेगी जितनी वह उचित समझे।

(2) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट की है कि उसकी राय में संबंधित व्यक्ति के निरोध का कोई पर्याप्त हेतुक नहीं है, राज्य सरकार निरोध आदेश को वापस ले लेगी और निरुद्ध व्यक्ति को तत्काल छुड़वायेगी।

14. निरोध की अधिकतम कालावधि.—वह अधिकतम कालावधि, जिसके लिए किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी ऐसे निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सकेगा, जिसे धारा 13 के अधीन पुष्ट कर दिया गया है, निरोध की तारीख से एक वर्ष होगी।

15. निरोध आदेशों का वापस लिया जाना.—(1) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) की धारा 23 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार किसी निरोध आदेश को, किसी भी समय लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, इस बात के होने पर भी कि वह आदेश किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है, वापस ले या उपान्तरित कर सकेगी।

(2) निरोध आदेश (जिसे इस उप-धारा में इसके आगे "पूर्ववर्ती निरोध आदेश" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का अवसान या वापस लिया जाना उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन कोई अन्य निरोध आदेश (जिसे इस उप-धारा में इसके आगे "पश्चातवर्ती निरोध आदेश" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) करने से वर्जित नहीं करेगा :

परन्तु ऐसे मामले में, जिसमें ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किये गये पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अवसान या वापस लिये जाने के पश्चात् कोई



नये तथ्य उद्भूत नहीं हुए हों, अधिकतम कालावधि, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति पश्चात्वर्ती निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया जा सकेगा, किसी भी वशा में पूर्ववर्ती निरोध आदेश के अधीन निरोध की तारीख से बारह मास की कालावधि के अवसान से अधिक नहीं होगी।

16. निरुद्ध व्यक्तियों का अस्थायी रूप से छोड़ा जाना.—(1) राज्य सरकार, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी समय निदेश दे सकेगी कि निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किये गये किसी व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, या तो शर्तों के बिना या निदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह व्यक्ति स्वीकार करे, छोड़ दिया जाये और उसके छोड़े जाने को किसी भी समय रद्द कर सकेगी।

(2) किसी भी निरुद्ध व्यक्ति के उप-धारा (1) के अधीन छोड़े जाने का निदेश देने में राज्य सरकार, निदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के सम्यक् अनुपालन के लिए उससे प्रतिभुओं के सहित या बिना कोई बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई निरुद्ध व्यक्ति उसके छोड़े जाने का निदेश देने या, यथास्थिति, उसके छोड़े जाने को रद्द करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर, और प्राधिकारी के समक्ष अपने को प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई निरुद्ध व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से अपने को प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(5) यदि उप-धारा (1) के अधीन छोड़ा गया कोई निरुद्ध व्यक्ति निदेश में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है जिनके सम्यक् अनुपालन के लिए उसके द्वारा बंधपत्र निष्पादित किया गया था तो, बंधपत्र को समपहृत घोषित किया जायेगा और उसके द्वारा आबद्ध कोई भी व्यक्ति उसकी शास्ति का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।

17. सदभावपूर्वक की गयी कार्यवाई के लिए संरक्षण.—इस अधिनियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

18. इस अधिनियम की परिधि के भीतर आने वाले विषयों का केवल इस अधिनियम के अधीन निपटाया जाना.—इस अधिनियम के प्रारम्भ पर और उसके पश्चात राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा राज्य में किसी शराब के चोरबाजारिये, मादकद्रव्य अपराधी, खतरनाक व्यक्ति, अनैतिक-व्यापार अपराधी, या सम्पत्ति को हथियानेवाले के संबंध में, लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करने से उसे निवारित करने के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम,

1980 (1980 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 65) के अधीन कोई निरोध आदेश वहां तक नहीं किया जायेगा जहां तक इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश ऐसे व्यक्ति के निरोध के लिए किया जा सकता हो।

महेश भगवती,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTEMENT**  
**(Group-II)**  
**NOTIFICATION**

**Jaipur, March 5, 2008**

**No.F.2(5)Vidhi/2/2006.**—In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Samaj Virodhi Kriyakalap Nivaran Adhiniyam, 2006 (2008 Ka Adhiniyam Sankhyank 1):—

*(Authorised English Translation)*

**THE RAJASTHAN PREVENTION OF ANTI-SOCIAL ACTIVITIES ACT, 2006**

**(Act No. 1 of 2008)**

**[Received the assent of the President on  
the 25<sup>th</sup> day of February, 2008]**

*An*

*Act*

*to provide for preventive detention of boot-leggers, dangerous persons, drug offenders, immoral traffic offenders and property grabbers for preventing their anti-social and dangerous activities prejudicial to the maintenance of public order.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:—

**1. Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Rajasthan Prevention of Anti-social Activities Act, 2006.

(2) It extends to the whole of the state of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

**2. Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “authorized officer” means a District Magistrate authorized under sub-section (2) of section 3 to exercise the powers conferred under sub-section (1) of that section;



- (b) "boot-legger" means a persons who habitually distills, manufactures, stores, transports, imports, exports, sells or distributes any liquor, intoxicating drug or other intoxicant in contravention of any provision of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. 2 of 1950) and the rules and orders made thereunder, or of any other law for the time being in force or who knowingly expends or applies any money or supplies any animal, vehicle, vessel or other conveyance or any receptacle or any other material whatsoever in furtherance or support of the doing of any of the things described above by or through any other person, or who abets in any other manner the doing of any such thing;
- (c) "dangerous person" means a person, who either by himself or as member or leader of a gang, habitually commits, or a attempts to commit or abets the commission of any of the offences punishable under Chapter XVI or Chapter XVII of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) or any of the offences punishable under Chapter V of the Arms Act, 1959 (Central Act No. 54 of 1959) or any of the offences punishable under first proviso to sub-section (1), and sub-section (1A), of section 51 of the Wild life (Protection) Act, 1972 (Central Act No. 53 of 1972) or any offence punishable under section 67 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000);
- (d) "detention order" means an order made under section 3;
- (e) "detenu" means a person detained under a detention order;
- (f) "drug offender" means a person who habitually—
- (i) imports any drug in contravention of section 10 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Central Act No. 23 of 1940) (hereinafter in this definition referred to as "the Drugs Act");
  - (ii) manufactures for sale, or sells, or stocks or exhibits for sale, or distributes any drug in contravention of section 18 of the Drugs Act;
  - (iii) Manufactures for sale or for distribution, or sells, or stocks or exhibits or offers for sale, or distributes any Ayurvedic, Siddha or Unani drug

- in contravention of section 33-EEC of the Drugs Act;
- (iv) Cultivates any coca plant, opium poppy, or cannabis plant or produces, manufactures, possesses, sells, purchases, transports, warehouses, imports inter-state, exports inter-state, imports into India, exports from India or trans-ships any narcotic drug or psychotropic substances in contravention of section 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985(Central Act No. 61 of 1985);
- (v) Knowingly expends or applies any money in furtherance or support of the doing of any of the things mentioned in any of the sub-clauses (i) to (iv) by or through any other person; or
- (vi) Abets in any manner the doing of any of the things mentioned in any of the sub-clauses (i) to (v);
- (g) "habitual", with all its grammatical variations, includes acts or omissions committed repeatedly, persistently and frequently having a thread of continuity stringing together similar repetitive acts or omission but shall not include isolated, individual and dissimilar acts or omissions;
- (h) "immoral traffic offender" means a person who habitually commits or abets the commission of any offence under the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (Central Act No. 104 of 1956);
- (i) "property grabber" means a person who illegally takes possession of any land situated within the urban limits of any district Head Quarters not belonging to himself but belonging to Government, local authority or any other person or who illegally enters into or creates illegal tenancies or leave and licence agreements or any other agreements in respect of such land or who constructs any structure thereon for sale or hire or gives such land to any person on rental or leave and licence basis for construction of any structure thereon or use and occupation or who knowingly gives financial aid to any person for taking illegal possession of such land or for construction of any structure thereon or who collects or attempts to collect from any occupiers of such land



rent, compensation or other charges by criminal intimidation or who evicts or attempts to evict any such occupiers by force without resorting to the lawful procedure or who abets in any manner it he doing of any of the above mentioned things;

- (j) "public order" shall have the same meaning as assigned to it under sub-section (4) of section 3.

**3. Power to make orders detaining certain persons.—(1)**

The State Government may, if satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, it is necessary so to do, make an order directing that such person be detained.

(2) If, having regard to the circumstances prevailing or likely to prevail in any area within the local limits of the jurisdiction of a District Magistrate, the State Government is satisfied that it is necessary so to do, it may, by order in writing, direct that the District Magistrate, may also, if satisfied as provided in sub-section (1), exercise the powers conferred by the said sub-section.

(3) When any order is made under this section by an authorized officer he shall forthwith report the fact to the State Government together with the grounds on which the order has been made and such other particulars as, in his opinion, have a bearing on the matter, and no such order shall remain in force for more than twelve days after the making thereof, unless, in the meantime, it has been approved by the State Government.

(4) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be "acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order" when such person is engaged in or is making preparation for engaging in any activities whether as a boot-legger or dangerous person or drug offender or immoral traffic offender or property grabber, which affect adversely or are likely to affect adversely the maintenance of public order.

**Explanation.—**For the purpose of this sub-section public order shall be deemed to have been affected adversely or shall be deemed likely to be affected adversely *inter alia* if any of the activities of any person referred to in this sub-section directly or indirectly, is causing or is likely to cause any harm, danger or alarm or feeling of insecurity among the public at large or any section thereof or a grave or widespread danger to life, property or public health.

**4. Execution of detention orders.**—A detention order may be executed at any place in the State in the manner provided for the execution of warrant of arrest under the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974).

**5. Power to regulate place and conditions of detention.**—Every person in respect of whom a detention order has been made shall be liable—

- (a) to be detained in such place and under such conditions, including conditions as to maintenance of discipline and punishment for breaches of discipline, as the Government may, by general or special order, specify; and
- (b) to be removed from one place of detention to another place of detention, within the State by order of the State Government.

**6. Grounds of detention severable.**—Where a person has been detained in pursuance of an order of detention under section 3 which has been made on two or more grounds, such order of detention shall be deemed to have been made separately on each of such grounds and accordingly—

- (a) such order shall not be deemed to be invalid or inoperative merely because one or some of the grounds is or are—
  - (i) vague,
  - (ii) non-existent,
  - (iii) not-relevant,
  - (iv) not connected or not proximately connected with such person, or
  - (v) invalid for any other reason whatsoever, and it is not, therefore, possible to hold that the State Government or the authorized officer making such order would have been satisfied as provided in section 3 with reference to the remaining ground or grounds and made the order of detention,
- (b) the State Government or the authorized officer making the order of detention shall be deemed to have made the order or detention under the said section after being satisfied as provided in that section with reference to the remaining ground or grounds.



**7. Detention orders not to be invalid or inoperative on certain grounds.**—No detention order shall be invalid or inoperative merely by reason—

- (a) that the person to be detained thereunder, though within the State, is outside the territorial jurisdiction of the authorized officer making the order, or
- (b) that the place of detention of such person, though within the State, is outside the said limits.

**8. Powers in relation to absconding persons.**—(1) If the State Government or the authorized officer has reason to believe that a person, in respect of whom a detention order has been made, has absconded, or is concealing himself so that the order cannot be executed, in that case the State Government or, as the case may be, the authorized officer shall, irrespective of his ordinary jurisdiction, be deemed to be empowered to exercise all the powers of the Competent Court for issuing a proclamation for such person and for attachment and sale of his property situated in any part of the State and for taking any other action, and the provisions contained in sections 82, 83, 84 and 85 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) shall *mutatis mutandis* apply as if the detention order as aforesaid was a warrant of arrest issued by a Competent Court.

(2) If such person fails to comply with such proclamation, unless he proves that it was not possible for him to comply therewith, and that he had, within the period specified in the order, informed the officer mentioned in the order of the reasons which rendered compliance therewith impossible and of his whereabouts, or proves that it was not possible for him to so inform the officer mentioned in the order, shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both.

(3) An appeal from any order made by the State Government or, as the case may be, by the authorized officer rejecting application for restoration of attached property shall lie to the court of sessions having jurisdiction over the place where the property in question is situated.

(4) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) every offence under sub-section (2) shall be cognizable.

**9. Grounds of order of detention to be disclosed to detenu.**—(1) When a person is detained in pursuance of a detention order the authority making the order shall, as soon as may be, but



not later than three days from the date of detention, communicate to him the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order to the State Government.

(2) Nothing in sub-section (1) shall require the authority to disclose facts which it considers to be against the public interest to disclose.

**10. Constitution of Advisory Boards.**—(1) The State Government shall constitute one or more Advisory Boards for the purposes of this Act.

(2) Every such Board shall consist of a Chairman and two other members who are, or have been, Judges of any High Court.

**11. Reference to Advisory Board.**—In every case where a detention order has been made under this Act the State Government shall, within three weeks from the date of detention of a person under the order, place before the Advisory Board constituted by it under section 10 the grounds on which the order has been made and the representation, if any, made by the "detenu" and where the order has been made by an authorized officer, also the report made by such officer under sub-section (3) of section 3.

**12. Procedure of Advisory Board.**—(1) The Advisory Board, shall after considering the materials placed before it and, after calling for such further information as it may deem necessary from the State Government or from any person called for the purpose through the State Government or from the detenu and if, in any particular case, the Advisory Board considers it essential so to do or if the detenu desires to be heard, after hearing the detenu in person, submit its report to the State Government, within fifty days from the date of detention of the detenu.

(2) The report of the Advisory Board shall specify in a separate part thereof the opinion of the Advisory Board as to whether or not there is sufficient cause for the detention of the detenu.

(3) When there is a difference of opinion among the members forming the Advisory Board the opinion of the majority of such members shall be deemed to be the opinion of the Board.

(4) The proceedings of the Advisory Board and its report excepting that part of the report in which the opinion of the Advisory Board is specified shall be confidential.

(5) Nothing in this section shall entitle any person against whom a detention order has been made to appear by any legal



practitioner in any matter connected with the reference to the Advisory Board.

**13. Action upon report of Advisory Board.**—(1) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, sufficient cause for the detention of the detenu, the State Government may confirm the detention order and continue the detention of the detenu for a period not exceeding the maximum period prescribed by section 14 as it thinks fit.

(2) In any case where the Advisory Board has reported that there is, in its opinion, no sufficient cause for the detention of the person concerned, the State Government shall revoke the detention order and cause the detenu to be released forthwith.

**14. Maximum period of detention.**—The maximum period for which any person may be detained in pursuance of any detention order made under this Act which has been confirmed under section 13, shall be one year from the date of detention.

**15. Revocation of detention orders.**—(1) Without prejudice to the provisions of section 23 of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) a detention order may, at any time for reasons to be recorded in writing, be revoked or modified by the State Government, notwithstanding that the order has been made by an authorized officer.

(2) The expiry or revocation of a detention order (hereinafter in this sub-section referred to as “the earlier detention order”) shall not bar the making of another detention order (hereinafter in this sub-section referred to as “the subsequent detention order”) under section 3 against the same person:

Provided that in a case where no fresh facts have arisen after the expiry or revocation of the earlier detention order made against such person, the maximum period for which such person may be detained in pursuance of the subsequent detention order shall in no case, extend beyond the expiry of a period of twelve months from the date of detention under the earlier detention order.

**16. Temporary release of person detained.**—(1) The State Government may, at any time, for reasons to be recorded in writing, direct that any person detained in pursuance of a detention order may be released for any specified period, either without conditions or upon such conditions specified in the direction as that person accepts, and may, at any time, cancel his release.

(2) In directing the release of any detenu under sub-section (1), the State Government may require him to enter into a bond,

with or without sureties, for the due observance of the conditions specified in the direction.

(3) Any detenu released under sub-section (1) shall surrender himself at the time and place, and to the authority, specified in the order directing his release or canceling his release, as the case may be.

(4) If any detenu fails without sufficient cause to surrender himself in the manner specified in sub-section (3), he shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

(5) If any detenu release under sub-section (1) fails to fulfil any of the conditions specified in the direction, for due observance of which a bond was executed by him, the bond shall be declared to be forfeited and any person bound thereby shall be liable to pay the penalty thereof.

**17. Protection of action taken in good faith.**—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer or person, for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

**18. Matters within the purview of this Act to be dealt with under this Act only.**—On and after the commencement of this Act, no order of detention under the National Security Act, 1980 (Central Act No. 65 of 1980) shall be made by the State Government or any officer subordinate to it, in respect of any boot-legger, drug offender, dangerous person, immoral traffic offender, or property grabber in the State on the ground of preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, in so far as an order under this Act, could be made for detention of such person.

महेश भगवती,

Principal Secretary to the Government.